कार्यालय जिला स्वास्थ्य समिति (यक्ष्मा नियंत्रण) कार्यक्रम धनबाद

झारखण्ड सरकार

DOTS
Pura course । Pakka ilaaj

एतद् द्वारा सूचित किया जाता हैं कि जिला यक्ष्मा नियंत्रण समिति, धनबाद दिनांक 02.08.18 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा पूनरीक्षित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत संविदा के आधार पर विभिन्न पदो पर नियुक्ति हेतु उपायुक्त धनबाद के अध्यक्षता में गठित चयन समिति के दिनांक 13.12.2018 के बैठक में प्राप्त आवेदनो के लिए स्कूटनी हेतु निर्धारित मापदण्ड के स्वीकृत्यादेश के आलोक में आपत्ति निराकरण हेतु आवेदको की औपबंधिक सूची नाम के साथ धनबाद जिला के वेबसाइट hhtp:// dhanbad.nic.in पर उपलब्ध करा दिया गया हैं। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी धनबाद के पास लिखित में दिनांक 02.02.2019 के अपराहन 5:00 बजे तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकता हैं।

28/1/19

जिला यक्ष्मा पदाधिकारी
धनबाद।

ज्ञापांक......44......../धनबाद, दिनांक......28/01/19......./

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता (वि0व्य0) सह वेब मैनेजर, धनबाद से अनुरोध हैं कि संलग्न औपबंधिक सूची एंव दिनांक 13.12.18 के चयन समिति की बैठक कार्यवाही को वेबसाइट hhtp:// dhanbad.nic.in पर प्रकाशित कराने हेतु सूचनार्थ प्रषित।

प्रतिलिपि : जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी, धनबाद से अनुरोध हैं कि उक्त सूचना को समाचार पत्रों मे प्रकशित कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28/1/19

जिला यक्ष्मा पदाधिकारी
धनबाद।

Scanned by CamScanner

जिला स्वास्थ्य समिति यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम, धनबाद अर्न्तगत संविदा के आधार पर विभिन्न पदो की नियुक्ति/निति विर्धारण हेतु चयन समिति की बैठक कार्यवाही।

आज दिनांक 13.12.18 के अपराहन 12:00 बजे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपायुक्त धनबाद की अध्यक्षता में यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम अर्न्तगत संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य उपस्थित हुयें:–

1. उपायुक्त, धनबाद – अध्यक्ष
2. सिविल सर्जन, धनबाद – सदस्य
3. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, धनबाद – सदस्य
4. जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी, धनबाद (स्वा0 स0 के महिला सदस्य) – सदस्य
5. जिला कार्यक्रम प्रबधक, जि0स्वा0स0 धनबाद – सदस्य

सर्वप्रथम चयन समिति द्वारा जानकारी ली गई कि किन–किन पदो की नियुक्ति की जानी हैं एवं किन–किन विषयों पर चर्चा की जानी हैं। तदोपरांत जिला यक्ष्मा पदाधिकारी धनबाद के द्वारा समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया जो निम्नलिखित हैं–

प्रस्तावः–

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष जिला यक्ष्मा नियंत्रण समिति, धनबाद के आदेशानुसार स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक प्राप्त आवेदनों का 1. RNTCP के मार्गनिर्देशिका के अनुरूप यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम अर्न्तगत विभिन्न पदो के लिए Essential एवं Preferential Qualification के अहर्त्ता 2. अधिकत्तम आयु का निर्धारण एवं 3. सथानियता और आरक्षण रखने वाले आवेदको के आवेदनो का स्कूटनी कर मेघा सूची बनाने की स्वीकृती। तदोपरांत नियुक्ति की प्रकिया को आगे बढ़ाने/निति निर्धारण हेतु चयन समिति के सभी सदस्यो का निर्णय आपेक्षित हैं।

चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णयः–

चयन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम में संविदा के आधार पर विभिन्न पदो पर नियुक्ति हेतु प्राप्त सभी आवेदनो का मेघा सूची निम्न निर्देशो का पालन करते हुए किया जाय–

1. Essential एवं Preferential Qualification विज्ञापन में प्रकाशित अहर्त्ता के आधार पर शत प्रतिशत अनुपालन की जानी हैं।
2. चिकित्सा पदाधिकारी के पदो पर नियुक्ति हेतु अधिकत्तम आयु का निर्धारण झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, रांची के पत्रांक 156(HSN) दिनांक 02.07.18 के अनुसार 67 वर्ष होगी।
3. अन्य पदो की अधिकत्तम आयु का निर्धारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड के ज्ञापांक 07ए0/निति/07–11/2010 का0 2096 रांची दिनांक 25.04.2011 के आलोक में निम्न प्रकार की होगी।

आरक्षित संवर्ग	अधिकत्तम आयु	विकलांग हेतु अधिकत्तम आयु
General	35	40
OBC	37	42
Female Unreserved	38	43
ST/SC	40	45

उपरोक्त सभी पदो की अधिकत्तम आयु की गणना हेतु तिथि 01.07.18 निर्धारत की जाती हैं।

13/12/18

Scanned by CamScanner

4. इस नियुक्ति में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, रांची की संकल्प संख्या 14/स्थानीयता निति–14–04/2018 का– 8468/रांची दिनांक 20.11.18 से लागु स्थानीय निति से पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा एवं संकल्प 3854 दिनांक 01.06.18 में उल्लेखित 11 गैर अनुसूचित जिलो में जिला स्तर के वर्ग 3 एवं 4 के पदो पर नियुक्ति अगले 10 वर्ष कलावधि तक सम्बंधित जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होगें।
5. स्थानीय निवासी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या 3198 दिनांक 18.04.16 के आलोक एवं जाति इस विभाग के पत्र संख्या 6763 दिनांक 05.08.16 की कंडिका 3 के अनुसार निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होंगें।
6. समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि आरक्षण का लाभ केवल वैसे अभ्यर्थीयो को देय होगी जिनका अवासीय एवं जाति प्रमाण–पत्र अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो। वैसे अभ्यर्थी जो धनबाद जिले के अवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करते हैं उन्हे आरक्षण का लाभ देय नही होगा।
7. आयुक्त कार्यालय, उ0छो0प्र0 हजारीबाग के पत्रांक 65–02(स्था0)/2017/1793 दिनांक 06.12.18 द्वारा वर्णित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित आरक्षण रोस्टर प्रस्ताव आयुक्त महोदय के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
8. जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, धनबाद द्वारा बताया गया कि पद Counselor पद हेतु आवेदित आवेदिका श्रीमति दरक्शा परवीन पति मनौवर आलम के आवेदन पत्र में ड्राफ्ट संख्या 7943 वर्णित हैं एवं मूल ड्रफ्ट उनके आवेदन के साथ संलग्न नही थी। उक्त ड्रफ्ट संख्या STS पद के आवेदक श्री मनीष कुमार पिता रामदेव राम के आवेदन में अंकित एवं मूल ड्रफ्ट संलग्न पायी गई।

   वयन समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सम्बंधित ड्रफ्ट की सत्यता की जांच ड्रफ्ट निर्गतकर्त्ता बैंक को पत्र निर्गत कर की जाय।

चयन समिति के निर्णय के अनुसार आवेदको की औपबंधिक सूची www.dhanbad.nic.in, सिविल सर्जन कार्यालय एवं जिला यक्ष्मा नियंत्रण समिति, धनबाद के सूचना पट्ट पर आपत्ति हेतु प्रकाशित किया जाय। आपत्ति के पश्चात मेघा सूची तैयार कर साक्षात्कार हेतु आदेश लिया जाय।

तदोपरांत बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई एवं उपरोक्त कार्रवाई के उपरांत पुनः बैठक करने का निर्णय लिया गया।

(ह०) 13/12/18 जिला यक्ष्मा पदाधिकारी धनबाद	(ह०) 13/12/18 सिविल सर्जन धनबाद	(ह०) 13/12/18 जिल कुष्ठ निवारण पदाधिकारी धनबाद
(ह०) 13/12/18 जिला कार्यक्रम प्रबंधक जिला0 स्वा0 समिति धनबाद		(ह०) 13/12/18 उपायुक्त, धनबाद

Scanned by CamScanner